

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - अमित कुमार वर्मा R.A.S
प्रकरण संख्या 511/2018 राजस्व प्रार्थनापत्र

1 राधाकृष्ण पिता हीरा कामड उम्र-वयस्क निवासी डोहरिया तहसील फुलियाकलां जिला
भीलवाड़ा अनवान
..... प्रार्थी

- बनाम
- 1 बाबूलाल पिता उंकार भील उम्र-वयस्क निवासी डोहरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 2 हरकू पत्नि उंकार भील उम्र-वयस्क निवासी डोहरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 3 लाली पत्नि मोडू लाल माली उम्र-वयस्क निवासी डोहरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
 - 4 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडोदा शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा राज.
 - 5 तहसीलदार (भूमिधारी) फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)
- अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1)
के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :- श्रीमती मदीना बानू—वकील प्रार्थी
अनुपस्थित— श्री विजय पाराशर.....विपक्षी 01, 02
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक 24.03.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 03.08.2018 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा डोहरिया पटवार मण्डल डोहरिया तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 418 के आराजी संख्या 2787/354 रकबा 0.96 हैक्टे. प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से पड़ोसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पड़ता है। प्रार्थी शुरुआत से अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षीगणों की आराजी संख्या 356, 355, 354/2312 की मेड के सहारे-सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 व 05 के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 356, 355, 354/2312 भूमि की मेड के सहारे-सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 06.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तालब किया गया।



अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय पाराशर द्वारा अधिकार पत्र व जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण 01, 02 की ओर से खण्डन में प्रस्तुत किये गये जवाब में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पास अपनी आराजीयात में पहुंच हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए भी जवाबदाता की भूमि कब्जा करने की नियत से 20 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्यायोचित नहीं है। यदि प्रार्थी को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थी संख्या 01, 02 को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही अप्रार्थीगणों का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावें। शेष विपक्षी संख्या 03 लगायत 05 के द्वारा विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से विरुद्ध विपक्षी संख्या 03 लगायत 05 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार फुलियाकलां मार्फत हल्का पटवारी डोहरिया से पर्चा मौका, रिपोर्ट हल्का पटवारी प्राप्त होकर रेकार्ड पर लिया गया।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा डोहरिया स्थित आराजी संख्या 355 में से 0.010 हैक्टे. (100 वर्गमीटर), आराजी संख्या 356 में से 0.010 हैक्टे. (100 वर्गमीटर) एवं बिलानाम आराजी संख्या 354/2312 में से 0.013 हैक्टे. (134 वर्गमीटर) भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा नवीन सन्दर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन सम्बन्धी नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। परन्तु तहसीलदार फुलियाकलां मार्फत हल्का पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को केवल मात्र आराजी संख्या 355 में से 0.010 हैक्टे. (100 वर्गमीटर), आराजी संख्या 356 में से 0.010 हैक्टे. (100 वर्गमीटर) एवं बिलानाम आराजी संख्या 354/2312 में से 0.013 हैक्टे. (134 वर्गमीटर) यानि क्रमशः 20-20 फिट का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए प्रत्येक आराजीयात से क्रमशः 20-20 फिट रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पड़ोसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नहीं उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थी संख्या 01, 02 ने प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप ऐसा कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को कोई भारी क्षति होगी।



पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा 40 फिट का रास्ता चाहा गया था, एवं उसी क्रम में अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा मौजा डोहरिया स्थित आराजी संख्या 355 रकबा 0.18 में से 0.010 हैक्टे. (100 वर्गमीटर), आराजी संख्या 356 रकबा 0.69 में से 0.010 हैक्टे. (100 वर्गमीटर) एवं बिलानाम आराजी संख्या 354/2312 रकबा 0.11 में से 0.013 हैक्टे. (134 वर्गमीटर) अर्थात् क्रमशः 20-20 फिट नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम डोहरिया पटवार मण्डल डोहरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित डोहरिया स्थित आराजी संख्या 355 रकबा 0.18 में से 0.010 हैक्टे. (100 वर्गमीटर), आराजी संख्या 356 रकबा 0.69 में से 0.010 हैक्टे. (100 वर्गमीटर) एवं बिलानाम आराजी संख्या 354/2312 रकबा 0.11 में से 0.013 हैक्टे. (134 वर्गमीटर) अर्थात् क्रमशः 20-20 फिट भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल-दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 355, 356, 354/2312 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.033 हैक्टेयर मालियत राशि की दोगुनी राशि कुल 14,580/-रूपये (0.033 हैक्टेयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(अमित कुमार बनी)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला भीलवाड़ा